करवाया। प्रार्थी के द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई एवं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकोर्ड दुरस्ती करने का निवेदन किया।

निवेदन प्रार्थी का सूना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा मुन्दियाऊ के खाता संख्या 21 के खसरा नम्बर 146/234 रकबा 2.2662 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 77/233 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार का नाम गोमदा पुत्र गिरधारी के स्थान पर गोविन्दराम पुत्र गिरधारीराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज अधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम गोमदा पुत्र गिरधारी के स्थान पर गोविन्दराम पुत्र गिरधारीराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब अनुसार गोमदा पुत्र गिरधारी के स्थान पर गोविन्दराम पुत्र गिरधारीराम दर्ज किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकोर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकोर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगीं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा मुन्दियाऊ के खाता संख्या 21 के खसरा नम्बर 146/234 रकबा 2.2662 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 77/233 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम गोमदा पुत्र गिरधारी के स्थान पर गोविन्दराम पुत्र गिरधारीराम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा मुन्दियाऊ के खाता संख्या 21 के खसरा नम्बर 146/234 रकबा 2.2662 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 77/233 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार का नाम **गोमदा पुत्र गिरधारी हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के स्थान पर गोविन्दराम पुत्र गिरधारीराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार** दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार डेह को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक ....26.06.2024.... को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner